रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 86] नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 1971/आषाढ 7, 1893

No. 86] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 1971/ASADHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th June, 1971

SUBJECT:—*Import policy for April 1971—March 1972—import of raw materials and components by units engaged in priority industries.*

No. 72-ITC(PN)/71—Attention is invited to the import policy for actual users as contained in the Import Trade Central Policy (Red Book), Volume I, for the period April 1971—March 1972, published under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No 44 ITC(PN)/71 dated the 30th April, 1971.

2. In accordance with the aforesaid policy, as laid down in paragraph 7 of Section I, part 'A' of the Red Book (Vol. I), the existing units engaged in the priority industries are required to make their import applications for raw materials and components by way of claiming replenishment of imported raw materials and components consumed by the units within a given period. It has further been provided in para 13 of the said Section I (Part 'A') that along with their import applications, the units should furnish a statement, in quadruplicate, indicating the c.i.f. value of imported raw materials and components consumed by the unit, the production

actually turned out, the unutilised value of licences in hand, and the particulars of actual imports/allotments of raw materials and components, duly certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant in practice who is not a partner or employee of the applicant firm or its associate or the sponsoring authority concerned (in the case of small scale units only).

3. The proforma in which the units have to furnish the particulars of consumption, etc as referred to in para 2 above, is given in Appendix 2 of the said Red Book. The existing entry against S.No. 6 of the proforma relates to the particulars of actual imports/allotments of raw materials and components received by the applicant unit. It has been decided that the said S.No. 6 may be substituted by the following:—

"6. Particulars of actual imports of raw materials and components and allotments of imported raw materials and components received during the period mentioned against S.No. 3 above, and during 6 months preceding the said period:—

Sl. No.	No. and date of import licence or Release order	C.I.F value of raw materials/components imported (or procured against release order).	Date of import/ allotment
1	2		4

4. Appendix 2 to the Import Trade Control Policy (Red Book, Vol. I) for the period April 1971—March 1972 may be deemed to have been amended accordingly.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 जून, 1971

विषय.—अप्रैल, 1971 मार्च 1972 के लिये आयात नीति—प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए एककों द्वारा कच्चे माल और संघटकों का आयात।

सं० 72 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक), वा० 1 में वास्तविक उपयोगताओं के लिए निहित आयात नीति जिसका प्रकाशन विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई० टी० सी० (पी एन) /71, दिनांक 30 अप्रैल 1971 में किया गया था, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त नीति के अनुसार, जैसा कि रेड बुक (वा० 1) के खंड 1 भाग 'ए' की कंडिका 7 में निर्धारित है, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए वर्तमान एककों से अपेक्षा की जाती है कि एकक द्वारा उपयोग किए गए आयातित कच्चे माल और संघटकों की मांगी गई प्रतिपूर्ति द्वारा कच्चे माल और संघटकों के लिए अपना आयात आवेदन-पत्र में दी गई अवधि के भीतर भेजे। उक्त खंड 1 (भाग 'ए') की कंडिका 13 में आगे यह व्यवस्था की गई है कि एकक को चाहिए कि वे अपने आयात आवेदन-पत्रों के साथ एककों द्वारा उपयोग किए गए आयातित कच्चे माल और संघटकों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, उनके द्वारा वास्तव में कितना उत्पादन किया गया है, उनके पास जो लाइसेंस हैं उसके

कितने मूल्य का उपयोग किया जाना बाकी है, और कच्चे माल और संघटकों के वास्तविक आयातों/आबंटनों के विवरणों का संकेत करते हुए प्रयानुसार ऐसे सनदी लेखा पाल या लागत लेखापाल जो आवेदक फर्म या इसके सम्बद्ध का भागीदार या कर्मचारी नहीं है, उसके द्वारा या संबंधित प्रायोजित प्राधिकारी (केवल लघु पैमान उद्योग एककों के मामले में) द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए एक विवरण की चार प्रतियां भेजें।

3. जैसा कि उक्त कंडिका 2 में उल्लिखित किया गया प्रपत्र जिसमें एककों को उपभोग आदि का ब्यौरा देना है, उसे उक्त रैडबुक के परिशिष्ट 2 में दिया गया है। प्रपत्र की क्रम संख्या 6 के सामने वर्तमान प्रविष्टि वास्तविक आयातों/आवेदक एकक द्वारा प्राप्त किए गए कच्चे माल और संघटकों के आबंटनों के ब्यौरे से सम्बंधित है। यह निश्चय किया गया है कि उक्त क्रम संख्या 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाए :—

"6. कच्चे माल और संघटकों के वास्तविक आयातों का और उपर्युक्त क्रम संख्या 3 के सामने उल्लिखित अवधि के दौरान तथा उक्त अवधि से पहले 6 महीनों के दौरान तथा आयातित कच्चे माल और संघटकों के प्राप्त किए गए आबंटनों का ब्यौरा :—

क्रम सं०	आयात लाइसेंस या रिहाई आदेश की संख्या और दिनांक	आयातित (या रिहाई आदेश के आधार पर प्राप्त किए गए) कच्चे माल/संघटकों का लागत बीमा-भाड़ा मूल्य	आयात/आबंटन की तिथि
1	2	3	4

4. अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक, खं० 1) के परिशिष्ट 2 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971